अध्याय – 3
उद्देशिका/प्रस्तावना

हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व–संपन्न,
समाजवादी, पंथ –निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य
बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को :

समाजिक, आर्थिक, और राजनीतिक न्याय,

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
और उपासना की स्वतंत्रता,

प्रतिश्ठा और अवसर की समता
प्राप्त कराने के लिए,

तथा उन सब में, व्यक्ति की गरिमा और
राष्ट्र की एकता और अखण्डता
सुनिश्चत कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए

दृढ़संकल्पित होकर अपनी इस संविधान सभा में
आज तारीख 26 नवम्बंर, 1949 ईस्वी (मिति मार्गशीर्ष
शुक्ल सप्तमी, संवत् दो हजार छः विक्रमी) को
एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित
और आत्मसमर्पित करते हैं।

- सामान्यतया प्रत्येक अधिनियम का आरंभ उद्देशिका से होता है जो उसके मुख्य आदर्शो एवं आकांक्षाओं का उल्लेख करती है।

उद्देशिका प्रस्ताव प्रस्तुत	**13 दिसम्बंर 1946 (पं. जवाहरलाल नेहरू द्वारा)**
प्रस्ताव पारित हुआ	**22 जनवरी 1947**
प्रस्तावना की भाषा	**आस्ट्रेलिया**
प्रस्तावना लिया गया है	**स्वीट्जरलैंड**

- **हम भारत के लोग**
  - ✓ संविधान का मूल स्त्रोत भारत की जनता है। वहीं समस्त शक्तियों का केन्द्र बिन्दु है।
  - ✓ संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की उद्देशिका से लिया गया है।

- **संपूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न –**
  - ✓ भारत अपने आंतरिक एंव बाह्य मामले में किसी विदेशी सत्ता के अधीन नही हैं।
  - ✓ भारत अपनी रक्षा करने मे सक्षम हैं।
- **समाजवादी –**
  - ✓ सरकार का हस्तक्षेप रहेगा। निजि सम्पति का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता हैं।
  - ✓ समाजवादी देश में उत्पादन के प्रमुख साधनों पर सरकारी नियंत्रण होता है।
  - ✓ भारत एक लोकतांत्रिक समाजवाद है।
- **पंथनिरपेक्ष/धर्मनिरपेक्ष –**
  - ✓ किसी धर्म विशेष को राजधर्म के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं करता है।

- ✓ धर्म के प्रति कोई भेद – भाव नही करेगें।
- ✓ सभी धर्म को समान अधिकार दिया जाएगा।

- **लोकतंत्रात्मक** –
  - ✓ लोगों का तंत्र है।
  - ✓ जनता को, जनता के लिए, जनता द्वारा शासन होगा।
  - ✓ भारत में जनता अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन
- **गणराज्य** –
  - ✓ मुखिया या अध्यक्ष का पद वंशानुगत नहीं होगा।
- **न्याय** –
  - → **सामाजिक** :– समाजिक रूप से किसी से भेदभव नही होगा। जाति, रंग, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव किये बिना समान व्यवहार होगा।
  - → **आर्थिक** :– आर्थिक कारणों जैसे संपदा, आय व संपत्ति के आधार पर किसी से भेदभाव नहीं होगा।
  - → **राजनितिक** :– हर व्यक्ति को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होगें।

- **स्वतंत्रता** :–

  5 प्रकार की स्वतंत्रता का मतलब लोगों की गतिविधियों पर किसी प्रकार की रोकटोक की अनुपस्थिति से है।
  - ✓ **विचार** – किसी से भी अपने विचार करने की स्वतंत्रता
  - ✓ **अभिव्यक्ति** – हम किसी भी तरीके से अपने विचार प्रकट कर सकते हैं।
  - ✓ **विश्वास** – किसी के उपर भी विश्वास कर सकते हैं।
  - ✓ **धर्म** – किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है।
  - ✓ **उपासना** – किसी भी धर्म को मानकर उसकी उपासना करने की स्वतंत्रता है।
- **समता** :–

  समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति और बिना किसी भेदभाव के हर व्यक्ति को समान अवसर प्रदान करने।

  2 प्रकार की समानता प्रस्तावना में उल्लेखित है।
  - ✓ **प्रतिष्ठा** – सभी नागरिकों को गरिमा के साथ जाने का अधिकार है।
  - ✓ **अवसर** – सभी नागरिकों को समान अवसर दिया गया है।
- **बंधुत्व** :–

  एकल नागरिकता के एक तंत्र के माध्यम से भाई चारे की भावना को प्रोत्साहित करता है। धार्मिक, भाषायी, क्षेत्रीय अथवा वर्ग विविधताओं से ऊपर उठ सौहार्द्र और आपसी भाईचारे की भावना प्रोत्साहित करता है।
  - ✓ **गरिमा** – सभी नागरिकों को आत्मसम्मान के साथ जीने का अधिकार हैं।
  - ✓ **एकता और अखंडता** –राज्य की एकता और अखण्डता राज्य को अलग न होने वाली भारत का निर्माण करना है
- **अंगीकृत** – बनाया जाना
- **अधिनियमित** – लागू करना
- **आत्मर्पित** – अपनाना

नोट :–

- 42वाँ संविधान संशोधन 1946 के तहत् प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए समाजवादी, पंथनिरपेक्ष व अखण्डता।
- स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व, फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया हैं। (1789–1799 ई.)
- सामाजिक, आर्थिक, व राजनैतिक न्याय को 1917 की रूसी क्रांति से लिया गया है।
- प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया हैं।

➢ भारतीय संविधान की प्रस्तावना के 4 प्रमुख घटक

1. संविधान के अधिकार का स्रोत :–

- भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है कि संविधान भारत के लोगों से अपना अधिकार प्राप्त करता है।

2. भारतीय राज्य की प्रकृति :–

- संविधान की उद्देशिका भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य घोषित करती है।
- **सार्वभौम :**
  - ✓ भारत न तो निर्भर है और न ही किसी अन्य देश का उपनिवेश।
  - ✓ यह एक स्वतंत्र राज्य है जिसके ऊपर किसी अन्य का कोई अधिकार नहीं है और बाहरी और आंतरिक दोनों तरह के अपने मामलों का संचालन करने के लिए स्वतंत्र है।
  - ✓ भारत या तो विदेशी राज्य के पक्ष में अपने क्षेत्र का एक हिस्सा हासिल कर सकता है या उसे सौंप सकता है।
  - ✓ 1949 में, भारत ने ब्रिटिश राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की पूर्ण सदस्यता जारी रखने की घोषणा की लेकिन इससे भारत की संप्रभुता प्रभावित नहीं हुई।
- **समाजवादी :**
  - ✓ यह शब्द संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था।
  - ✓ राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के रूप में संविधान में समाजवादी गुण मौजूद था।
  - ✓ भारत साम्यवादी समाजवाद के बजाय एक लोकतांत्रिक समाजवाद का अनुसरण करता है जो राष्ट्रीयकृत उत्पादन और वितरण के बजाय मिश्रित अर्थव्यवस्था के प्रावधान की अनुमति देता है।
- **धर्म निरपेक्ष :**
  - ✓ भारतीय संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया था।
  - ✓ धर्मनिरपेक्ष राज्य को संविधान में अनुच्छेद 25 से 28 तक मौलिक अधिकारों की गारंटी दी गई है।
  - ✓ भारतीय धर्मनिरपेक्षता देश के सभी धर्मों को राज्य से समान दर्जा और समर्थन प्रदान करती है।
- **लोकतांत्रिक :**
  - ✓ लोकतंत्र को संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से क्रियान्वित किया जाता है जहां कार्यपालिका सभी नीतियों और कार्यों के लिए विधायिका के प्रति जिम्मेदार होती है।
  - ✓ लोकतंत्र में सर्वोच्च शक्ति देश के लोगों के पास होती है।
  - ✓ राजनीतिक लोकतंत्र के अलावा सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को अनुमति देने के लिए लोकतंत्र का व्यापक अर्थों में उपयोग किया जाता है।
  - ✓ लोकतंत्र का प्रतिनिधि स्वरूप संसद में मौजूद है।
- **गणतंत्र :**
  - ✓ गणतंत्र शब्द राष्ट्रपति नामक एक निर्वाचित प्रमुख की उपस्थिति को इंगित करता है।
  - ✓ यह लोगों को राजनीतिक संप्रभुता की भी अनुमति देता है न कि किसी व्यक्ति विशेष को।
  - ✓ यह सार्वजनिक कार्यालयों में भेदभाव को भी रोकता है और विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों के लाभों को प्रतिबंधित करता है।

3. संविधान के उद्देश्य :–

- संविधान के उद्देश्य न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की प्राप्ति है।
- **न्याय :–**
  - ✓ सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूपों में न्याय प्राप्त करने की मांग की जाती है।
  - ✓ न्याय का विचार रूसी क्रांति 1917 से लिया गया है।
  - ✓ सामाजिक न्याय जाति, धर्म, लिंग, रंग आदि के आधार पर भेदभाव के बिना नागरिकों के समान व्यवहार की अनुमति देता है। यह पिछड़े वर्गों (एससी, एसटी और ओबीसी) की स्थितियों में सुधार की भी अनुमति देता है।
  - ✓ आर्थिक न्याय धन और संपत्ति आय के मामले में असमानताओं को समाप्त करने और आर्थिक आधार पर लोगों के बीच भेदभाव से बचने की मांग करता है।
  - ✓ राजनीतिक न्याय सभी नागरिकों को समान रूप से राजनीतिक अधिकार प्रदान करता है और सरकार में राजनीतिक कार्यालयों तक पहुंच प्रदान करता है।

- **स्वतंत्रता :–**
  - ✓ भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्वतंत्रता प्रदान करने का उपबंध भी करती है जिसका अर्थ है व्यक्तिगत गतिविधियों पर संयम का अभाव और व्यक्तियों के विकास के अवसरों का प्रावधान।
  - ✓ स्वतंत्रता का विचार मौलिक अधिकार के माध्यम से सभी नागरिकों तक फैला हुआ है जो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
  - ✓ स्वतंत्रता का विचार फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है।
- **समानता :–**
  - ✓ समानता का अर्थ है समाज के किसी विशेष वर्ग के लिए विशेष विशेषाधिकारों का अभाव और सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसरों का प्रावधान।
  - ✓ प्रस्तावना भारत के नागरिकों को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से स्थिति और अवसर की समानता प्रदान करती है।
  - ✓ संविधान में समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से 18) के माध्यम से भी समानता का विस्तार किया गया है।
  - ✓ राजनीतिक समानता सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से लोगों के समान प्रतिनिधित्व और बिना किसी भेदभाव के मतदाता सूची में शामिल करने की अनुमति देती है, जिसका उल्लेख क्रमशः अनुच्छेद 326 और 325 में किया गया है।
  - ✓ संविधान के अनुच्छेद 39 के तहत आजीविका के समान अधिकार के माध्यम से आर्थिक समानता प्रदान की जाती है।
- **बंधुत्व :**
  - ✓ प्रस्तावना मनोवैज्ञानिक और क्षेत्रीय आयामों में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता को सुरक्षित करने के लिए भाईचारे/बंधुत्व की भावना प्रदान करती है।
  - ✓ अखंडता शब्द को 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से प्रस्तावना में जोड़ा गया था।
  - ✓ एक व्यक्ति की गरिमा संविधान द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के व्यक्तित्व की मान्यता का प्रतीक है।

4. संविधान को अपनाने की तिथि :–

- संविधान को अपनाने की तारीख 26 नवंबर 1949 है।
- **बेरुबारी संघ मामला (1960) :**
  - ✓ इस मामले में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है।
  - ✓ इस मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्दों को अस्पष्ट कहा गया था।
- **केशवानंद भारती मामला (1973) :**
  - ✓ सर्वोच्च न्यायालय ने अपने पूर्व के फैसले को खारिज करते हुये यह घोषणा की कि प्रस्तावना संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।
  - ✓ इस मामले ने प्रस्तावना के अत्यधिक महत्व पर प्रकाश डाला।
  - ✓ इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा की अनुच्छेद 368 के तहत मूल विशेषताओं में बदलाव किए बिना प्रस्तावना में संशोधन किए जा सकते हैं।
- **एस.आर. बोम्मई केस (1994) :**
  - ✓ एस.आर. बोम्मई केस में घोषणा की गयी कि प्रस्तावना ने संविधान की मूल संरचना का संकेत दिया है।
- **एलआईसी ऑफ इंडिया केस (1995) :**
  - ✓ एलआईसी ऑफ इंडिया केस द्वारा प्रस्तावना को सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान का एक अभिन्न अंग माना था।

➢ **वर्तमान स्थिति :–**

- प्रस्तावना संविधान का अंग है।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना न तो विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत है और न ही उनकी शक्तियों का निषेध।
- संविधान की उद्देशिका न्यायोचित नहीं है।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना का महत्व
- संविधान की उद्देशिका को पंडित ठाकुर दास भार्गव द्वारा 'संविधान की आत्मा' और एन.ए. पालकीवाला द्वारा 'संविधान की पहचान' के रूप में माना जाता है।
- उद्देशिका संविधान निर्माताओं के सपनों और आकांक्षाओं के साथ–साथ संविधान सभा की दृष्टि का गठन करती है।
- भारतीय संविधान की उद्देशिका संविधान के मौलिक मूल्यों और दर्शन का प्रतीक है।
- भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रस्तावना सर्वोच्च न्यायालय का मार्गदर्शन करता है।
- भारतीय संविधान की उद्देशिका भारत के संपूर्ण संविधान के अधिनियमन के बाद अधिनियमित किया गया था।